संख्या– 1001 /सत्तर–5–2014–30/2012

**प्रेषक,**

शिव कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 162 /रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 27.5.14

**सेवा में,**

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

**उच्च शिक्षा अनुभाग–5** **लखनऊ : दिनांक 23 मई, 2014**

**विषयः** वेतन समिति (2008) के पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के माध्यम से मानदेय/नियत वेतन/संविदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–562/दस–54(एम)2008टी0सी0 दिनांक 30–8–2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके बिन्दु–1(5) में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को वर्ष में 20 दिन का आकस्मिक अवकाश दिये जाने तथा महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश राजकीय कर्मचारियों की भॉति अनुमन्य किये गये हैं। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा प्रवक्ता भी उक्त से आच्छादित हैं।

2– अतः वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के उक्त शासनादेश दिनांक 30–8–2013 के बिन्दु–1(5) के कम में प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं को वर्ष में 20 दिन का आकस्मिक अवकाश दिये जाने तथा महिला संविदा प्रवक्ताओं को राजकीय कर्मचारियों की भॉति प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक/अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( शिव कुमार शुक्ल )
उप सचिव।

**संख्या– 1001 (1)/सत्तर–5–2014, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियत्रंक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 – द्वारा– निदेशक, उच्च शिक्षा।
4. समस्त प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय, उ0प्र0– द्वारा–निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 /उच्च शिक्षा अनुभाग–4
6. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( वीरेन्द्र नाथ )
अनु सचिव।

27/05/14

2014 - G.O.